चेक बाउंस और दिवाला प्रक्रिया — प्रमुख तथ्य

अर्थव्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया (प्रारंभिक परीक्षा: सामान्य अध्ययन) | समाचार संदर्भ: 27 मई 2026 का न्यायिक संदर्भ | प्रकाशित: 24 अक्टूबर 2026

खबरों में क्यों

27 मई 2026 को सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीश पीठ ने चेक बाउंस और व्यक्तिगत दिवाला प्रक्रिया के आपसी संबंध के कुछ बुनियादी प्रश्न तीन-न्यायाधीश पीठ के विचार के लिए भेजे। मूल विवाद यह है कि दिवाला कानून के तहत लगने वाली रोक (मोरेटोरियम) चेक अनादरण की पूरी कार्यवाही पर लागू होती है या सिर्फ उसके प्रतिकर वाले हिस्से तक।

पीठ ने आपराधिक और प्रतिकर दोनों पहलुओं का अपना विश्लेषण भी दिया, फिर भी अंतिम और प्रामाणिक निर्णय के लिए बड़ी पीठ को जरूरी बताया। यह न समझा जाए कि दो न्यायाधीशों ने पहले की किसी बड़ी पीठ के फैसले को पलट दिया है।

चेक अनादरण क्या है?

जब बैंक किसी चेक का भुगतान करने से मना कर देता है तो उसे आम बोलचाल में चेक बाउंस कहा जाता है। पर हर लौटा हुआ चेक अपने आप परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 का अपराध नहीं बन जाता। इसके लिए कानून में रखी गई शर्तें, वैध देनदारी का होना, तय समय में नोटिस और भुगतान का अवसर जैसी बातें देखनी पड़ती हैं।

धारा 138 का मकसद चेक से भुगतान की भरोसेमंदी बनाए रखना है। शर्तें पूरी होने पर इसमें कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है, और अदालत शिकायतकर्ता को प्रतिकर दिलाने का निर्देश भी दे सकती है। यही दोहरा स्वरूप, यानी सजा और प्रतिकर का मिलाजुला चरित्र, इसे दिवाला कानून के साथ टकराव की स्थिति में लाता है।

मुख्य तथ्य

- **संदर्भ:** सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीश पीठ ने 27 मई 2026 को चेक अनादरण और व्यक्तिगत दिवाला प्रक्रिया के संबंध के प्रश्न तीन-न्यायाधीश पीठ को भेजे।
- **मूल विवाद:** दिवाला प्रक्रिया की रोक चेक बाउंस की पूरी कार्यवाही पर लागू हो या केवल प्रतिकर वाले हिस्से पर।
- **धारा 138:** परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की यह धारा शर्तें पूरी होने पर चेक अनादरण को अपराध बनाती है; कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान।
- **मोरेटोरियम:** कुछ कानूनी कार्रवाइयों पर अस्थायी रोक; ऋण की स्वतः माफी नहीं।
- **धारा 96 बनाम 101:** 96 आवेदन दाखिल होने के साथ अंतरिम रोक से, 101 आवेदन स्वीकार होने के बाद की रोक से जुड़ी है।
- **पुराना संदर्भ:** 2021 के पी. मोहनराज निर्णय में कंपनी की धारा 14 रोक और धारा 138 कार्यवाही का संबंध समझाया गया था।
- **सीमा:** संदर्भ भेजना पहले के बड़ी पीठ के निर्णय को अंतिम रूप से पलटना नहीं है।

परीक्षा की दृष्टि से

प्रारंभिक परीक्षा के लिए याद रखने योग्य: चेक अनादरण (परक्राम्य लिखत अधिनियम धारा 138) का अर्थ, दिवाला प्रक्रिया की रोक (मोरेटोरियम) और चेक-कार्यवाही के आपराधिक बनाम प्रतिकर पहलू का आधारभूत अंतर। दिवाला-मोरेटोरियम का व्यापक विश्लेषण, कंपनी बनाम व्यक्ति के प्रश्न और धारा 96/101 की व्याख्या मुख्य परीक्षा लेख में (लिंक नीचे स्रोत में)।

प्रारंभिक परीक्षा शैली: अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. चेक अनादरण और दिवाला प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मोरेटोरियम का अर्थ हर संबंधित कर्ज का स्वतः माफ हो जाना है।
2. धारा 138 की कार्यवाही में आपराधिक और प्रतिकर संबंधी पहलुओं का प्रश्न उठ सकता है।
3. किसी प्रश्न को बड़ी पीठ के पास भेजना पहले के बड़ी पीठ के निर्णय को अंतिम रूप से पलट देने के समान नहीं है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) सभी तीन

(d) कोई नहीं

उत्तर और कारण देखें
उत्तर: (b) केवल दो।
दूसरे और तीसरे कथन सही हैं। मोरेटोरियम अस्थायी प्रक्रियात्मक रोक है, स्वतः ऋण-मुक्ति नहीं।

स्रोत और सीमाएँ

- सर्वोच्च न्यायालय: 27 मई 2026 का मूल संदर्भ-निर्णय (पढ़ा): मूल स्रोत खोलें
- दिवाला बोर्ड: व्यक्तिगत गारंटरों की प्रक्रिया का परिचय (पढ़ा): मूल स्रोत खोलें
- India Code: परक्राम्य लिखत अधिनियम का पाठ: मूल स्रोत खोलें
- 4 जून 2026 का कानूनी व्याख्यात्मक लेख (पढ़ा): मूल स्रोत खोलें
- 29 मई 2026 की स्वतंत्र कानूनी रिपोर्ट (पढ़ा): मूल स्रोत खोलें
- **सीमाएँ:** 27 मई का निर्णय प्रश्नों को तीन-न्यायाधीश पीठ को भेजता है; पहले के बड़ी पीठ के निर्णय का अंतिम उलटाव नहीं। बाद की तीन-न्यायाधीश पीठ की कार्यवाही की स्थिति इस लेख में तय नहीं की गई। धारा 138 मूल अधिनियम के उपलब्ध पाठ और संदर्भ-निर्णय से मिलाई गई है। व्यक्तिगत गारंटर प्रक्रिया का परिचय-पत्रक पुराना है; अक्टूबर 2026 तक सभी व्यक्तियों पर लागू होने का सार्वभौमिक दावा नहीं किया गया।

इसी विषय का मुख्य परीक्षा (विश्लेषण) लेख: चेक बाउंस और दिवाला प्रक्रिया: मोरेटोरियम का दायरा